डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 02/2026-27 के मुखपृष्ठ, हितधारक परामर्श, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों के पृष्ठ 1, 2, 3, 292, 293, 294 और 295 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/ एचआईएएल/सीपी-IV/2025-26

परामर्श पत्र संख्या 02/2026-27

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्त आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद (एचवाईडी) के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि (01.04.2026 से 31.03.2031) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 19 जून, 2026

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

हितधारक परामर्श

राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (आरजीआईए), हैदराबाद ऐरा (संशोधन) अधिनियम 2019 और 2021 के साथ पठित- 'भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (ऐरा अधिनियम)' की धारा 2(i) के संदर्भ में इसकी प्रतिवर्ष की यात्रियों की संख्या के आधार पर एक प्रमुख हवाईअड्डा है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान इस हवाईअड्डे से प्रति वर्ष वस्तुत: 30.48 मिलियन यात्रियों (एमपीपीए) का आवागमन हुआ और हवाई यातायात में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, जो भारत के नागर विमानन नेटवर्क में इसके कार्यनीतिक महत्व को साबित करता है।

आरजीआईए का प्रारंभ नवंबर 2000 में हुआ था, जब आंध्र प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत हैदराबाद में एक ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डा बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में शमशाबाद, हैदराबाद में एक आधुनिक, कुशल और विश्व-स्तरीय ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डे का डिज़ाइन तैयार करने, वित्त, निर्माण करने, विकास करने, प्रचालन एवं उसका रखरखाव करने के लिए 17 दिसंबर, 2002 को जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसे आगे "जीएचआईएएल" या "हवाईअड्डा प्रचालक" कहा जाएगा, को शामिल किया गया था। सार्वजनिक निजी भागीदारी ढांचे के अंतर्गत आरजीआईए का विकास भारत में हवाईअड्डा अवसंरचना विकास में एक अहम पड़ाव है और यह विमानन अवसंरचना के सृजन के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी का लाभ उठाने के नीतिगत उद्देश्य को प्रदर्शित करता है।

हवाईअड्डे के विकास**,** निर्माण**,** प्रचालन और रखरखाव के लिए भारत सरकार और जीएचआईएएल के बीच 20 दिसंबर 2004 को रियायती करार किया गया था। इसके बाद**,** हवाईअड्डे पर 23 मार्च 2008 को वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ हुए और तब से यह देश के प्रमुख विमानन प्रवेश-द्वार (गेटवे) में से एक बन गया है।

ऐरा अधिनियम, 2008 और लागू रियायती करार के प्रावधानों के अनुसार जीएचआईएएल ने प्राधिकरण द्वारा विचार किए जाने के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि (2026-2031) के लिए अपना बहु वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत किया। एमवाईटीपी में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) नियंत्रण अवधि से पूर्व के अधिकार (पीसीपीई), प्रथम नियंत्रण अवधि और द्वितीय नियंत्रण अवधि से संबंधित संशोधित ट्रू-अप की प्रस्तुतियां।

(ii) वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों और वित्त वर्ष 2026 के अलेखापरीक्षित वास्तविक आंकड़ों के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि का ट्रू-अप।

(iii) 1 अप्रैल, 2026 से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2031 को समाप्त होने वाली चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए पूर्वानुमान

इन प्रस्तुतियों में यातायात पूर्वानुमान, पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), प्रचालन व्यय (ओपेक्स), गैर-वैमानिक राजस्व (एनएआर) और अन्य संबंधित पैरामीटरों के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है, जो चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक टैरिफ़ निर्धारित करने का आधार हैं।

इस परामर्श पत्र को तैयार करते समय प्राधिकरण ने जीएचआईएएल द्वारा प्रस्तुत किए गए एमवाईटीपी की प्रस्तुतियों और सहायक दस्तावेज़ों की विस्तार से जांच की। इस मूल्यांकन में तृतीय नियंत्रण अवधि से संबंधित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की जांच शामिल है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस परामर्श पत्र को तैयार करने के उद्देश्य से जीएचआईएएल द्वारा उपलब्ध किए गए अलेखापरीक्षित वास्तविक वित्तीय आंकड़ों पर भी भरोसा किया गया।

तदनुसार, प्राधिकरण ने हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के संबंध में चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के कार्य के भाग के रूप में अपने प्रस्ताव शामिल कर यह परामर्श पत्र जारी किया है। प्राधिकरण इसमें दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों से प्राप्त लिखित, साक्ष्य-आधारित टिप्पणियों, सुझावों और फीडबैक पर अच्छी तरह से विचार करेगा और हितधारकों की प्रस्तुतियों पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने के बाद वैमानिक सेवाओं के लिए अंतिम टैरिफ आदेश जारी करेगा।

प्राधिकरण आगे इस बात पर बल देना चाहेगा कि परामर्श प्रक्रिया के लिए निर्धारित समय-सीमा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और इसका कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। अत: हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियां और इनपुट अनिवार्यत: इस परामर्शपत्र में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कर दें। निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त यह ध्यान देना आवश्यक है कि ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(2) के संदर्भ में किसी नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ़ आदेश के अंतर्गत निर्धारित की गई टैरिफ़ की वर्तमान नियंत्रण अवधि के दौरान समीक्षा और उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यदि प्राधिकरण जनहित में और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक समझे।

अत: ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार **दिनांक 19 जून, 2026 के परामर्श पत्र संख्या 02/2026-27 पर** हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक **(नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)**
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल : director-ps@aera.gov.in, rajan.gupta1@aera.gov.in, प्रति secretary@aera.gov.in

हितधारक परामर्श बैठक :	06 जुलाई, 2026
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख :	20 जुलाई, 2026
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख :	30 जुलाई, 2026

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या 011-24695043 पर संपर्क कर सकते हैं।

15 *हितधारकों के परामर्श के लिए प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार*

अध्याय 2 : नियंत्रण अवधि से पूर्व के अधिकार (पीसीपीई) का टूअप

2.4.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के टैरिफ आदेश के अनुरूप इस परामर्श पत्र की तालिका 9 के अनुसार पीसीपीई के लिए टू-अप को मानना।

अध्याय 3 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टूअप

3.4.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के टैरिफ आदेश के अनुरूप इस परामर्श पत्र की तालिका 9 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टू-अप को मानना।

अध्याय 4 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टू-अप

4.4.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 9 के अनुसार टू-अप को मानना।

4.4.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के कार्य के भाग के रूप में द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टू-अप के दौरान निर्धारित किए अनुसार ₹441.60 करोड़ की अधिक वसूली को कायम रखना।

अध्याय 5 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टू-अप

5.11.1 तालिका 11 के अनुसार वास्तविक आंकड़ों के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए यातायात को मानना ।

5.11.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 45 के अनुसार वैमानिक कैपेक्स को मानना।

5.11.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 54 के अनुसार वैमानिक मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी) को मानना।

5.11.4 तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 61 के अनुसार डब्ल्यूएसीसी को मानना।

5.11.5 तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 135 के अनुसार वैमानिक प्रचालन और अनुरक्षण खर्च को मानना।

5.11.6 तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 140 के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

5.11.7 तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 143 के अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना।

5.11.8 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 146 के अनुसार **'शून्य'** वैमानिक कर को मानना।

5.11.9 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि तक ₹319.80 करोड़ की कम वसूली (तालिका 150 के अनुसार) को मानना।

अध्याय 6 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए यातायात पूर्वानुमान।

6.3.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 154 के अनुसार यातायात पूर्वानुमान को मानना।

6.3.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय चतुर्थ नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (यात्री, एटीएम और कार्गो) को टूअप करना।

अध्याय 7 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास एवं विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)।

7.8.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 230 के अनुसार वैमानिक परिवर्धनों को मानना।

7.8.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों, लागत दक्षता और औचित्य के आधार पर वैमानिक परिवर्धनों को ट्रू-अप करना।

7.8.3 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 233 के अनुसार वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।

7.8.4 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर मूल्यह्रास को ट्रू-अप करना।

7.8.5 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 235 के अनुसार विनियामक परिसंपत्ति आधार को मानना।

7.8.6 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को ट्रू-अप करना।

7.8.7 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पैरा 7.3.136 में उल्लेख किए अनुसार पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूंजीकृत परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय चतुर्थ नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के दौरान इसकी जांच की जाएगी।

7.8.8 केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय **V** के अनुसार निवेश कर जमा राशियों के लेखांकन की जांच करना और अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक समायोजन करना।

अध्याय 8 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए पूंजी की औसत भारित लागत (डब्ल्यूएसीसी)।

8.3.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 238 के अनुसार ईक्विटी की लागत, ऋण की लागत, काल्पनिक ऋण- ईक्विटी अनुपात और डब्ल्यूएसीसी/एफआरओआर को मानना।

8.3.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों (या) भारतीय स्टेट बैंक के औसतन एक (1) वर्ष के एमसीएलआर + 100 बीपीएस (जो भी कम हो) के आधार पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए ऋण की लागत को ट्रू-अप करना।

अध्याय 9: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

9.3.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 240 के अनुसार मुद्रा-स्फीति की दरों को मानना।

अध्याय 10: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) खर्च

10.3.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 309 के अनुसार वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

10.3.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य एवं कार्य क्षमता की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को ट्रू-अप करना।

अध्याय 11: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए गैर- वैमानिक राजस्व

11.3.1 आरजीआईए के लिए तालिका 315 के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

11.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तालिका 315 में प्राधिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित न्यूयतम सीमा की शर्त पर वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को ट्रू-अप करना।

अध्याय 12: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कर

12.3.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 317 के अनुसार वैमानिक कर को मानना।

12.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत-तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त ढंग से वैमानिक कर की राशि को ट्रू-अप करना।

अध्याय 13: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

13.3.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता के कारण कुल राजस्व अपेक्षा में किसी भी समायोजन को न मानना।

13.3.2 जीएचआईएएल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर रियायत करार में निर्धारित कार्य निष्पादन मानकों का पालन किया जाता है और पैरा 13.2.10 में उल्लिखित अंतिम आदेश के अनुसरण में अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे कार्य निष्पादन मानकों का भी अनुपालन किया जाएगा, जो प्रमुख हवाईअड्डों के लिए लागू कर दिए गए हैं।

अध्याय 14 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा

14.5.1 जीएचआईएएल के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 324 के अनुसार कुल राजस्व अपेक्षा और वाईपीपी को मानना।

14.5.2 जीएचआईएएल को यह निदेश देना कि वह इस परामर्श पत्र के जारी होने के 7 दिन के भीतर वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (टैरिफ दर कार्ड) प्रस्तुत कर दें, जिसे हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

16 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

16.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार इस परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित **अध्याय 15**–प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

16.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

16.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 20 जुलाई, 2026 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
तृतीय तल, **उड़ान भवन**, **सफदरजंग हवाईअड्डा**,
नई दिल्ली –110003.
दूरभाष : 011-24695044-47 फैक्स : 011-24695048

(अध्यक्ष)